



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234782
CG-DL-E-01042022-234782

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1494]

No. 1494]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1944

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/CHAITRA 11, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

का.आ. 1555(अ).—भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5321(अ), दिनांक 16.12.2021 द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, मैसर्स पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का सिलवासा स्पर पाइपलाइन द्वारा गांव: झरोली, तालुका: उमरगाम, जिल्ला: बलसाड, में टाप ऑफ पॉइंट से यू. टी. का दादरा एवं नगर हवेली गांव: खरडपादा, सिलवासा में मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आर. आई. एल) का सिलवासा मैन्युफैक्चरिंग डिविजन तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना प्रतियाँ दिनांक 25.01.2022 से 01.02.2022 तक जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पाइपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में, जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें सभी विल्लंगमों से मुक्त, उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लिंगमों से मुक्त, मैसर्स पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची				
तालुका : उमरगाम	जिला : वलसाड	राज्य : गुजरात		
गाँव का नाम	सर्वे सं./सब-डिविजन सं.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग.मी.
1	2	3	4	5
1 झरोली	610	00	00	93
	569	00	07	75
	607	00	01	64
	605	00	04	15
	604	00	04	71
	598	00	06	22
	603	00	00	20
	599	00	03	33
	600	00	04	93
	622	00	08	88
	622 (रास्ता)	00	00	47
	623	00	00	10
	625	00	01	28
	638	00	11	93
	638 (नहर)	00	00	39
	639	00	00	75
	637	00	02	85
	636	00	17	28
	633	00	03	23
	635	00	03	06

[फा. सं. एल.-14014/180/2021-जी.पी.-II (ई-40693)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2022

S.O. 1555(E).— Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 5321(E) dated 16-12-2021, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of India had declared its intention to acquire the Right of User in land, specified in the Schedule appended to that notification for transportation of natural gas through M/s Pipeline Infrastructure Limited's (PIL) Silvassa Spur Pipeline from Tap off point in Vill: Zaroli, Taluka: Umargam, Dist: Valsad, Gujarat to M/s Reliance Industries Limited's (RIL) Silvassa Manufacturing Division in Vill: Kharadpada, Silvassa, U.T. of Dadra & Nagar Haveli;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public by 25-01-2022 to 01-02-2022;

And whereas, no objection received from the public to the laying of the said pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And whereas, the Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the said pipeline, has decided to acquire the Right of User therein, free from all encumbrances;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the Right of User in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired for laying the said pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Government of India, vest on the date of publication of the declaration, in M/s. Pipeline Infrastructure Ltd, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Taluka: UMARGAM		District : VALSAD		State: GUJARAT	
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU			
		Hec	Are	Sq.m.	
1	2	3	4	5	
1) Zaroli	610	00	00	93	
	569	00	07	75	
	607	00	01	64	
	605	00	04	15	
	604	00	04	71	
	598	00	06	22	
	603	00	00	20	
	599	00	03	33	
	600	00	04	93	
	622	00	08	88	
	622 (Road)	00	00	47	
	623	00	00	10	
	625	00	01	28	
	638	00	11	93	
	638 (Canal)	00	00	39	
	639	00	00	75	
	637	00	02	85	
	636	00	17	28	
	633	00	03	23	
	635	00	03	06	

[F. No. L-14014/180/2021-GP-II (E-40693)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.